पंचायत आम निर्वाचन,
2021
अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- पं.नि. 30-239/2021 3737

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक - 11.9.21

विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का निर्वाचन, 2021 – अभ्यर्थियों अथवा उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार के क्रम में तथा मतदान के दिन ध्वनि विस्तारक यंत्र (Loud Spekar) के उपयोग के संबंध में।

महाशय,

पंचायत आम निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने के साथ ही अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों द्वारा चुनाव के प्रचार-प्रसार हेतु बड़े पैमाने पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किये जाने की मांग करने लगते है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग न केवल सभा स्थल पर बल्कि भ्रमणशील वाहनों, यथा – जीप, स्कूटर, रिक्सा, कार, टेम्पु आदि पर भी प्रसारण हेतु किया जाता है। प्रायः ऐसा प्रसारण काफी ऊँची ध्वनि में किया जाता है, जिससे न केवल गम्भीर ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है बल्कि जनसाधारण के अमन-चैन, उनकी निजता तथा छात्रों के पठन-पाठन में भी बाधा पहुँचती है। अस्पतालों, धार्मिक संस्थानों, शिक्षण संस्थानों आदि को ऊँची ध्वनि से काफी असुविधा होती है। अतः चुनाव के समय ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग को नियंत्रित करना अत्यन्त आवश्यक है।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में निम्नांकित दिशा निदेश दिये जाते हैं, जिन्हें तत्पराता एवं सख्तीपूर्वक लागू करना जिला प्रशासन/ निर्वाची पदाधिकारी का दायित्व होगा –

(1) ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग छः बजे प्रातः से दस बजे रात्रि तक ही किया जा सकेगा। किसी वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए, छः बजे प्रातः के पूर्व और दस बजे रात्रि के बाद, किसी भी क्षेत्र में अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) किसी आम सभा अथवा जुलूस के लिए उपर्युक्त समय के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए सक्षम सरकारी पदाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। इस तरह के अनुमति देने के पूर्व सरकारी पदाधिकारी सन्तुष्ट हो लेंगे कि इससे जनसाधारण के अमन-चैन में कोई बाधा नहीं होगी और वे उस अवधि/ समय का भी उल्लेख कर देंगे जिसके लिए अनुमति दी जायेगी।

(3) अगर उपर्युक्त समय के लिए किसी ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग किया जाता है तथा बिना सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का उपयोग किया जाता है तो उसे सभी सहायक यन्त्रों के साथ जब्त कर लिया जायेगा।

10.9.21

(4) अभ्यर्थी अथवा उनके समर्थक किसी ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग किसी वाहन के साथ करना चाहते हैं तो वे सक्षम पदाधिकारी को उस वाहन की निबंधन (रजिस्ट्रेशन) संख्या की लिखित सूचना देंगे, जिसके साथ उक्त ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग किया जायेगा। अनुमति देने वाले पदाधिकारी अपने आदेश में उक्त बाहन की निबंधन संख्या निश्चित रूप से अंकित करेंगे।

(5) किसी भी वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के लिखित अनुमति के नहीं किया जायेगा तथा ऐसे वाहन ध्वनि विस्तारक यन्त्र एवं अन्य सहायक यन्त्रों के साथ जब्त कर लिये जायेंगे जिनके पास अनुमति नहीं होगी।

(6) यह ध्यान रखा जाये कि घूमते हुए वाहनों में ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग विद्यालय/ अस्पताल या धार्मिक स्थलों के निकट नहीं किया जायेगा ताकि इन संस्थानों की शान्ति में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो।

(7) सभी अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थक किसी निर्धारित स्थल अथवा घूमते हुये वाहन के लिए ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करेंगे तथा निर्वाची पदाधिकारी एवं स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के उपयोग के लिए इसकी लिखित सूचना देंगे।

(8) यह निर्वाची पदाधिकारी तथा स्थानीय पुलिस पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि वे ध्वनि विस्तारक यन्त्र के उपयोग हेतु स्थल अथवा घूमते हुए वाहन के लिए परमिट निर्गत करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग उपर्युक्त दिये गये निदेशों के विपरीत नहीं हो।

(9) ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग संबंधित चरण के मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित समय के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकेगा। उदाहरणस्वरूप प्रथम चरण के लिए निर्धारित तिथि यदि 29.09.2021 है तो दिनांक 29.09.2021 के अपराह्न 5 बजे के 48 घंटे पूर्व यानि 27.09.2021 के अपराह्न 5 बजे के बाद से ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(10) बिना अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति के किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित सभा/ जुलूस में ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग किये जाने पर सहायक अवर निरीक्षक या उसके ऊपर का कोई पुलिस पदाधिकारी उसे जब्त कर सकता है। इसका उल्लंघन किये जाने पर ``बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग और वादन नियन्त्रण अधिनियम, 1955`` की धारा 9 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। चुनाव के दिन मतदान केन्द्र अथवा इसके आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्र, मेगा फोन इत्यादि का उपयोग वर्जित है। अगर कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वारा पर या उसके पड़ोस में किसी सार्वजनिक या निजि स्थान में मानव ध्वनि के प्रवर्द्धन या प्रत्युत्पादन करने के लिए मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसे उपकरण का उपयोग करता है तो बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 130 की उप-धारा (8) के खण्ड (2) के तहत उसे तीन महीने के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

3. जनहित में लिये गये आयोग के उपर्युक्त निदेशों को गंभीरता से लिया जायेगा तथा दोषी/ उत्तरदायी व्यक्तियों/ पदाधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

4. निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी निर्वाची पदाधिकारी/ आरक्षी पदाधिकारियों को आयोग के निदेशों से भलीभाँति अवगत करा दिया जाये।

विश्वासभाजन,

10/17/21

सचिव।

D:\Sanjeev sir\P E 2021\7

ज्ञापांक – पं.नि. 30-239/2021 3737 पटना, दिनांक – 11.9.21

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक- पं.नि. 30-239/2021 3737 पटना, दिनांक – 11.9.21

प्रतिलिपि,मुख्य सचिव, बिहार/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।